महत्वपूर्ण/ई-मेल
संख्या-2054(1)/आठ-3-2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा-वृन्दावन एवं रामपुर विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक : 1 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2023**

विषय :- **स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023-24 हेतु चिन्हित नगरों की भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही जी.आई.एस. आधारित महायोजना की समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-57/स.नि.(के)/अमृत विविध/2023-24 दिनांक 16.08.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023-24 हेतु चिन्हित नगरों तथा ऐसे नगर जिनकी शासकीय समिति एवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समीक्षा की जा चुकी है, की अद्यतन स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया है।

2- भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन 59 नगरों की जी.आई.एस. आधारित महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। पूर्व में उक्त नगरों के लिए जी.आई.एस. आधारित महायोजनाओं को 30 जून, 2023 तक तैयार कर लिये जाने हेतु समय निर्धारित किया गया था, किन्तु अभी अधिकांश नगरों के महायोजना (प्रारूप) को अन्तिम स्वरूप नही दिया जा सका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की योजना स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट 2023-24 (नगरीय नियोजन सुधार) संबंधी प्रस्ताव में नगरों की महायोजनाओं को अन्तिम स्वरूप दिया जाना भी सम्मिलित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विकास क्षेत्र की महायोजना के अन्तिम अनुमोदन हेतु समस्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करते हुये शासकीय समिति के परीक्षण हेतु महायोजना प्रारूप शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
1.9.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

Patel Gen G.O.-2023

संख्या–2054/आठ–3–2023

टेलीफोन नं.–0522–7106628
E Mail :- ctcpup@gmail.com

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1–ए–वी/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

पत्रांक 57/स.नि.(के)/अमृत विविध/2023–24, दिनांकः 16/08/2023

सेवा में

संयुक्त सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3,
उत्तर प्रदेश, शासन।

विषयः स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023–24 हेतु चिह्नित नगरों तथा ऐसे नगर जिनकी शासकीय समितिएवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. द्वारा समीक्षा की जा चुकी है, की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023–24 के तंहत ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 05 लाख से अधिक है, हेतु उ.प्र. राज्य के 20 नगरों को चिह्नित किया गया है।

2 उक्त चयनित नगरों में से 03 नगरों, बरेली, मुरादाबाद एवं हापुड़, (संलग्नक–1) की समीक्षा शासकीय समिति के साथ–साथ अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा की जा चुकी है। उक्त नगरों हेतु अपर मुख्य सचिव, महोदय द्वारा इन नगरों की महायोजना के अन्तिम अनुमोदन के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित कार्यवाही 01 सप्ताह में पूर्ण करते हुये प्रस्तुतीकरण की प्रति सहित शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3 02 नगर, लखनऊ एवं गोरखपुर (संलग्नक–2) की महायोजना का परीक्षण शासकीय समिति द्वारा किया जा चुका है परन्तु गोरखपुर महायोजना में कतिपय संशोधन की अपेक्षा शासकीय समिति द्वारा की गई थी जिसके क्रम में शासकीय समिति द्वारा पुनः परीक्षण किया जाना है परन्तु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ.प्र. शासन द्वारा दोनो महायोजनाओं की समीक्षा किया जाना शेष है।

4 शेष 15 नगरों कानपुर, गाजियाबाद लोनी, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, अलीगढ़ झांसी, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, मथुरा, रामपुर एवं शाहजहांपुर (संलग्नक–3) में से शाहजहांपुर को छोड़कर शेष नगरों की महायोजना की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा की चुकी है। उक्त नगरो हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा इन नगरों की महायोजना के अन्तिम अनुमोदन हेतु समस्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करते हुये शासकीय समिति के परीक्षण हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3 अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16/8/23

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
नोडल अधिकारी

18.8.2023

पत्रांक एवं दिनांकः– तदैव।
प्रतिलिपिः– निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
नोडल अधिकारी

संलग्नक–1

स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023–24 हेतु चिह्नित नगरों की जी०आई०एस० आधारित महायोजनाओं की अद्यतन स्थिति।

क्र. स.	विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र	जी.आई.एस. महायोजना–2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति			
		बोर्ड से अनुमोदन की स्थिति	शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति	शासन से अनुमोदन की स्थिति	लम्बित (किस स्तर पर)
1	बरेली विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	प्रस्तुत	–	शासकीय समिति के कार्यवृत्त के अनुसार संशोधन
2	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	प्रस्तुत	–	शासकीय समिति की कार्यवृत्त अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।
3	हापुड़ (हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण)	अनुमोदित	प्रस्तुत	–	शासकीय समिति की कार्यवृत्त अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

संलग्नक–2

स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023–24 हेतु चिह्नित नगरों की जी०आई०एस० आधारित महायोजनाओं की अद्यतन स्थिति।

क्र. स.	विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र	जी.आई.एस. महायोजना–2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति			
		बोर्ड से अनुमोदन की स्थिति	शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति	शासन से अनुमोदन की स्थिति	लम्बित (किस स्तर पर)
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	प्रस्तुत	–	शासकीय समिति की कार्यवृत्त अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।
2	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	प्रस्तुत	–	शासकीय समिति के निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

संलग्नक–3

स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट 2023–24 हेतु चिह्नित नगरों की जी०आई०एस० आधारित महायोजनाओं की अद्यतन स्थिति।

क्र. स.	विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र	जी.आई.एस. महायोजना–2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति			
		बोर्ड से अनुमोदन की स्थिति	शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति	शासन से अनुमोदन की स्थिति	लम्बित (किस स्तर पर)
1	कानपुर विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	–	–	टी.ओ.डी.जोन के हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2	गाजियाबाद (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	प्राधिकरण बोर्ड की कार्यवृत्त प्रतीक्षित
3	लोनी (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	प्राधिकरण बोर्ड की कार्यवृत्त प्रतीक्षित
4	वाराणसी विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	–	–	बोर्ड की कार्यवृत्त अनुसार महायोजना प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण किया जा रहा है।
5	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	आपत्ति सुनवाई की कार्यवृत्त प्रतीक्षित
6	आगरा विकास प्राधिकरण	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	आपत्ति सुनवाई की कार्यवृत्त प्रतीक्षित
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	बोर्ड बैठक प्रस्तावित
8	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	–	–	महायोजना प्रतिवेदन का कार्य अन्तिम चरण में।
9	झांसी विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	–	–	अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त प्रतीक्षित
10	फिरोजाबाद (फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्रधिकरण)	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	आपत्ति सुनवाई की कार्यवृत्त प्रतीक्षित
11	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	प्राधिकरण स्तर पर
12	मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण (मुजफ्फरनगर एवं शामली)	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	प्राधिकरण स्तर पर
13	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	–	–	अपर मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त प्रतीक्षित।
14	रामपुर विकास प्राधिकरण	अनुमोदित	–	–	प्राधिकरण स्तर पर महायोजना प्रतिवेदन का अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
15	शाहजहांपुर विनियमित क्षेत्र	अनुमोदन प्रतीक्षित	–	–	नियंत्रक प्राधिकारी सभा की कार्यवृत्त प्रतीक्षित